संख्या

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी:—डॉ.अरविन्द गोस्वामी,I.A.S.

प्रकरण संख्या —7 / 2023 (अपील)
जीसीएमएस न0 2023 / 5

1. ओमप्रकाश पुत्र भंवरिया उर्फ भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी मण्डाना
2. संतोष बाई पुत्री भंवरिया उर्फ भंवरलाल
3. सुरज्या बाई पुत्री भंवरिया उर्फ भंवरलाल
4. सरस्वती बाई पुत्री भंवरिया उर्फ भंवरलाल
5. मनभर बाई पुत्री भंवरिया उर्फ भंवरलाल
6. निर्मला बाई पुत्री भंवरिया उर्फ भंवरलाल
   जाति मेघवाल निवासीगण मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
7. छोटी बाई बेवा श्री भंवरिया उर्फ भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी
   मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा

——अपीलाण्ट.

बनाम

1. अयोध्या बाई पत्नि बाबूलाल पुत्री चुन्यां निवासी काकरिया महादेव
   नन्दकिशोर योगी वाली गली में कुन्हाडी कोटा राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

——रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व नामान्तरकरण सं0 400 दिनांक 20.03.1976 ग्राम मण्डाना तहसीलदार लाडपुरा

उस्थितिः—

1. श्री दयाराम सेन अभिभाषक अपीलान्ट
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक— 17.02.2025

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मण्डाना में राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1438 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि मु0 गोपी बाई बेवा चम्पा बलाई निवासी मण्डाना को आवंटन की जाने पर मुताबिक आवंटन आदेश के तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 400 दिनांक 20.3.1976 को स्वीकृत करते हुए आवंटी गोपी बाई के नाम गैर खातेदारी से नामान्तरकरण दर्ज किया गया ।

2. अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 400 दिनांक 20.03.1976 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27.12.2022 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक रूप से स्व0 मु0 गोपी बाई बेवा चम्पालाल को आवंटन की गई गे0मु0 नाला की भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक करने में त्रुटि की है । उक्त नामान्तरकरण के आधार पर उक्त भूमि स्व0 गोपी बाई की मृत्यु के बाद अयोध्या बाई के नाम दर्ज खाता कर दी गई है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये किन्तु नोटिस रेस्पोडेन्ट को तामिल नहीं होने पर अपीलांट की प्रार्थना पर रेस्पो0 नं0 1 की तलबी हेतु समाचार पत्र में नोटिस साया के आदेश दिये गये, समाचार पत्र में नोटिस साया कराने का खर्चा अपीलांट द्वारा वहन किया गया । नोटिस समाचार पत्र दैनिक नवज्योति के कोटा अंक में दिनांक 5 जनवरी 2025 को साया हुआ किन्तु एक माह गुजरने के बाद भी रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से रेस्पोडेन्ट की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर दिनांक 10.2.2025 को अपीलान्ट एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई ।

जिला कलक्टर
कोटा

4. वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक रूप से स्व0 मु0 गोपी बाई बेवा चम्पालाल को आवंटन की गई गेर मुमकिन नाला की भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक करने में त्रुटि की है । उक्त नामान्तरकरण के आधार पर उक्त भूमि स्व0 गोपी बाई की मृत्यु के बाद अयोध्या बाई के नाम दर्ज खाता कर दी गई है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त योग्य है । अपीलान्ट के पिता व पति भंवरिया उर्फ भंवरलाल को दिनांक 26.5.1965 को ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 1439 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा भूमि आवंटित की जाकर कब्जा मौके पर दिया गया था उक्त आराजी का नामान्तरकरण संख्या 552 से उक्त आराजी वादीगण के पिता व पति भंवरिया पुत्र मोड़या के खाते दर्ज की गई, बाद सेटलमेन्ट नये खसरा नम्बर 1437 रकबा 1.35 हे0 कायम किया गया है । सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त आराजी का रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा कम कर दिया गया और उक्त आराजी को नक्शे में पूर्व खसरा नम्बर 1438 का नया खसरा नम्बर 1437 दर्ज कर वर्तमान नक्शे में अयोध्या बाई की गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया गया है । सेटलमेन्ट विभाग द्वारा पूर्व आराजी 1440, 1441 के नये खसरा नम्बरान 1438,1439,1440 कायम कर अन्य की गैर खातेदारी में दर्ज कर दिये गये है । गत खसरा नम्बर 1382 के नये खसरा नम्बर 1390 कायम किये गये इस प्रकार आस पास के खसरा नम्बरान के रकबे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है । गत खसरा नम्बर 1438 राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज था सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना कब्जे व मौके पर काबिज व्यक्तियों की जांच किये बिना नये नं0 1436 कायम वर्तमान नक्शे में अन्य जगह दर्शा दिया गया है जबकि अपीलान्ट का पूर्ण आराजी पर पूर्वत आज भी कब्जा काश्त है । रेस्पो0 नं0 1 अयोध्याबाई का दौराने सेटलमेन्ट राजस्व रिकार्ड में नाम गलत अंकित कर भूमि उसकी गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई है जबकि अयोध्याबाई का न तो पूर्व में कब्जा था ओर ना ही आज कब्जा है । गैर मुमकिन नाले की भूमि का आवंटन हुआ है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने से आवंटित भूमि का स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त योग्य है । मियाद के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जेर अपील एकपक्षीय रूप से अपीलान्ट को एवं उनके पूर्वज पूर्व खातेदार को सुने बिना एकपक्षीय पारित किया है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को 11.11.2022 को होने पर नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 12.12.2022 को नकल प्राप्त होने प्रथम जानकारी से अपील अवधि मध्य पेश है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 400 ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा दिनांक 20.3.1976 निरस्त किया जावें । वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथनों की पुष्टि में न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी 1217 2022(2) प्रस्तुत किया है ।

5. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण आवंटन आदेश की पालना में स्वीकृत किया गया है । इस अपील के जरिये नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है । अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि स्वयं की बताया है तथा सेटलमेन्ट की त्रुटि के कारण रेस्पोडेन्ट के नाम गैर खातेदारी दर्ज होने का तथ्य प्रकट किया है । अपीलांट द्वारा जिस प्रकार से अपील में तथ्य आलेखित किये है वह इस अपील में सुनवाई किये जाने योग्य नहीं होकर नियमित वाद के जरिये ही अपीलांट अनुतोष प्राप्त कर सकता है । इसके लिए अपीलांट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा में वाद भी प्रस्तुत किया हुआ है, हकों का निर्धारण नियमित वाद के जरिये ही होना है । वैसे भी यह अपील 46 वर्ष वाद प्रस्तुत की गई है जो मियाद बाहर है । तथा आवंटन आदेश से स्वीकृत नामान्तरकरण इस अपील के जरिये निरस्त किया जाना संभव नहीं है जब तक की आवंटन आदेश निरस्त नहीं हो जाता । चूंकि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1436 वर्तमान में अयोध्या पुत्री चून्या पति बाबूलाल के नाम खातेदारी में दर्ज हो चुकी है ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 400 दिनांक 20.03.1976 के विरूद्व दिनांक 27.12.2022 को प्रस्तुत की है 46 वर्ष बाद प्रस्तुत की है जो अन्दर मियाद नहीं है, विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने के बताये गये कारण कि आंदेश जेर अपील एक पक्षीय रूप से अपीलान्ट को एवं उनके पूर्वज खातेदार को सुने बिना ही पारित किया

सहा. कलक्टर
कोटा

जाने से प्रथम जानकारी दिनांक 11.11.2022 को होना बताया है । चूंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण आवंटन आदेश की पालना में स्वीकृत किया गया है, इस कारण अपीलांट को सुनना आवश्यक नहीं है । अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब 46 वर्ष की अवधि को कन्डोन करने के लिए बताये गये कारण उचित एवं ठोस आधार नहीं होने से धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं पाते है किन्तु इस अपील में गुणावगुण पर विवेचन करना भी उचित पाते है ।

7. प्रस्तुत अपील में अपीलांट का तर्क है कि खसरा नम्बर 1438 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि सिवायचक गै0मु0 नाला दर्ज थी, जो प्रतिबन्धित भूमि होने आवंटन योग्य नहीं थी । तथा खसरा नम्बर 1438 राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज था सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना कब्जे व मौके पर काबिज व्यक्तियों की जांच किये बिना नये नं0 1436 कायम वर्तमान नक्शे में अन्य जगह दर्शा दिया गया है । अर्थात वर्तमान खसरा नम्बर 1436 अपीलांट उनके पूर्वजों को आवंटित भूमि मानते है । वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में एक नियमित वाद सहायक कलक्टर कोटा में 81/2022 उनवान ओमप्रकाश बनाम अयोध्याबाई वगै0 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया हुआ जाहिर आया है, जिसकी आदेशिकाओं की प्रतियां अपीलान्ट द्वारा इस अपील में दिनांक 7.8.2023 को फर्द के साथ प्रस्तुत की गई है । प्रस्तुत अपील में यह विवेचनीय प्रथम बिन्दु है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण आवंटन आदेश की पालना में स्वीकृत किया गया है जो इस अपील के जरिये निरस्त नहीं किया जा सकता है, जब तक आवंटन आदेश निरस्त नहीं हो जाता तब तक नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है । दुसरा यह है कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा में नियमित वाद संख्या 81/2022 प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमें हकों का निर्धारण होना है । तीसरा बिन्दु यह है कि अपील 46 वर्ष बाद प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर है । ऐसी स्थिति में इस अपील के जरिये अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार अपील स्वीकार करने का कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट मियाद बाहर होने एवं अपील स्वीकार करने का पर्याप्त एवं कोई ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 400 दिनांक 20.03.1976 में किसी प्रकार से हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं होने से यथावत रखा जाता है ।

9. निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर कोटा
जिला कलक्टर
कोटा